क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
दीन दयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सागर

Telefax-07582-263774, E-mail-rompcb_sagar@rediffmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक /क्षे.का./प्रनिबो/सागर/17-18 सागर, दिनांक ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पृथक-पृथक मोहरबंद निविदायें प्रपत्र 'ए' प्रतिशत दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल के यूनीफाइड एस.ओ.आर. दिनांक 01.08.2014 से प्रभावशील (निविदा जारी तक संशोधन) पर केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत लोक निर्माण भोपाल के अन्तर्गत "सी" श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों के अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 02.05.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 02.05.2017 को अपरान्ह 4.30 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 01.05.2017 तक कार्यालयीन समय में क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर से निर्धारित मूल्य जमा करने पर क्रय किये जा सकते हैं।

कार्य का विवरण :- क्षेत्रीय कार्यालय सागर के कार्यालयीन भवन के संधारण एवं अन्य कार्य के निर्माण कार्य (निर्धारित शेडयूल अनुसार) बाबत् :

क्र.	अनु. लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की समयावधि वर्षाकाल सहित
1	16.80 लाख	33600/-	रू. 5000/-	कार्यादेश जारी दिनांक से 02 माह

1. निविदाये इस निविदा सूचना के पैरा में वर्णित पात्र ठेकेदारों से ही प्राप्त की जावेगी। यदि किसी अपात्र ठेकेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा एवं ऐसे ठेकेदार द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी जप्त मानी जावेगी।
2. यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है। कार्य का विस्तृत विवरण जैसे ड्राइंग-डिजाइन स्पेशीफिकेशन तथा कार्य की विस्तृत शर्ते कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक संबंधित कार्यालय में ठेकेदारों द्वारा देखी जा सकेगी।
3. शासन द्वारा निर्धारित टेक्स ठेकेदार को देना होगी।
4. रायल्टी आदि ठेकेदार को देना होगी।
5. निविदा की दरों की वैधता 120 दिन तक रहेगी।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. धरोहर राशि के बिना निविदायें मान्य नहीं की जावेगी। धरोहर राशि एफ.डी.आर./डी.डी. जो कि सदस्य सचिव म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल कार्यालय के नाम से देय होगी।

8. सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्वीकृत कर सकता है।

9. अनुबंध के पूर्व 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

10. कार्य के दौरान किसी हानि एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।

11. कार्य लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जावेगा।

12. शासन के नियमानुसार आयकर कटौती, वाणिज्य कर कटौती लेबर वेलफेयर कटोती देयकों से की जावेगी।

13. कार्य स्थल पर सावधानी सूचना संकेत का उपयोग ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना आवश्यक होगा।

14. कार्य इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना सबलेटिंग नहीं किया जावेगा।

15. उपरोक्त कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जाना है। अतः निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

16. निर्माणाधीन कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा में कमी परिवर्तन अथवा अतिरिक्त कार्य विभाग द्वारा करवाया जा सकता है, जिसके लिये ठेकेदार बाध्य होगा।

17. म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक F-53/2/2011/5788 भोपाल दिनांक 25.10.2011 में दिये गये निर्देशानुसार एस.ओ.आर. दर से 10 प्रतिशत अधिक नीचे (More Than 10 Below) होने पर निविदा दर को अव्यवहारिक दर प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफारमेंश गारंटी की राशि अनुबंध करने के पूर्व एफ.डी.आर. के रूप में जमा करनी होगी।

18. निविदा संबंधी जानकारी विभाग की बेवसाइड www.mppcb.nic.in देखी जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक 168 /क्षे.का./प्रनिबो/सागर/17–18 सागर, दिनांक 11/4/17

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव महोदय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई 5 अरेरा कालोनी भोपाल।
2. अधीक्षण यंत्री (वित्त) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
3. अधीक्षण यंत्री (प्रभारी प्राजेक्ट शाखा) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
4. कार्यापालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सागर
5. आई टी प्रभारी (आई टी शाखा) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल
6. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर (म.प्र.)